रजिस्ट्री सं० डी.(डी)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1981/माघ 11, 1902
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1981/MAGHA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1981

सा० का० नि० 104—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियमावली, 1980 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं अर्थात्—

1 (1) ये नियम वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, अनुसन्धान सहायक (कार्यअध्ययन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 कहे जाएं।

(2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, अनुसंधान सहायक का (कार्य अध्ययन) भर्ती नियमावली 1980 में —

(1) वर्तमान प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावना होगी अर्थात् —

"संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, अनुसंधान सहायक भर्ती नियमावली, 1975 के अतिक्रमण में राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के पद पर भर्ती की प्रणाली को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् —"

(2) नियम 5 में अन्तिम पंक्ति के "पदों अथवा", शब्दों को हटा दिया जाएगा।

[सं० ए० 12018/3/80-प्र० 1]
ति० वा० कृष्णा स्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 8th January, 1981

G.S.R. 104—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1980 namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Research Assistant (Work Study) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1980 :—

(2) फिटर अथवा इलैक्ट्रिकल व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र ।

(3) ब्लू प्रिंट पढ़ने और उनके अर्थ लगाने तथा प्रारम्भिक नक्शे तैयार करने की योग्यता ।

(4) 300 फुट की ऊंचाई तक के किसी भी किस्म के मस्तूल पर चढ़ने और इन मस्तूलों पर काम करने की योग्यता ।

(5) अच्छा स्वास्थ्य और बगैर चश्मे के वर्णांधता रहित नजर 6/6 होनी चाहिए ।

वांछनीय :

(1) मस्तूल, मचान और अन्य संरचनाएं बनाने और गिराने, डेरिक ब्लॉक और टैकल्स, विन्चों तथा अन्य उप-साधनों का उपयोग करते हुए भारी मशीनों को उठाने, लाने और ले जाने का दो वर्ष का अनुभव ।

(2) टेलीफोन, निम्न कर्षण (लो टैंशन) पावर केबल की जांच और मरम्मत करने तथा केबल में जोड़ लगाने की योग्यता" ।

[सं० ए 12018/5/79-ई डब्ल्यू (वी ई/एस एफ एस)]

आर० एन० गुप्ता, अवर सचिव

(ii) against serial number 18, relating to the post of Mast Rigger, for the entry under column 7, the following entry shall be substituted, namely :—

Essential :

(1) Matriculation or its equivalent.

(2) Diploma or certificate from Industrial Training Institute in Fitter or Electrical Trades.

(3) Ability to read and interpret bluprints and preparation of primary sketches.

(4) Ability to climb any type of mast upto 300 feet in height and carry out work on these masts.

(5) Good health and eye sight of 6/6 without glasses, should not be colour blind.

Desirable :

(1) About two years' experience in erection or dismantling of masts, scaffolding and other structures, lifting and moving of heavy machinery using derricks, block and tackles winches and other accessories.

(2) Ability to test and repair telephone and low tension power cables and effect cable jointing."

[No. A. 12018/5/79-EW(VE/SFS)]

R. N. GUPTA, Under Secy.

G.S.R. 126.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Civil Aviation Department, Aeronautical Communication Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Civil Aviation Department Aeronautical Communication Organisation (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Civil Aviation Department, Aeronautical Communication Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1974 :—

(a) in the opening paragraph and in rule 1, for the expression "Class III and Class IV" wherever they occur, the expression "Group C" shall be substituted ;

(b) in the Schedule,—

(i) for the expression "Class III" wherever they occur the expression "Group C" shall be substituted ;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1981

सा० का० नि० 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह क पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह क पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (समूह क पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में क्रम सं० 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	क्या के०सि०से० (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा-वर्षों का लाभ ग्राह्य है	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	7क	8
26.	मानीटर (विदेशी भाषाएं)	छह	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	700-40-900-द०रो०-40-1100-50-1300 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत	नहीं	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित संबद्ध विदेशी भाषा में उपाधि या समतुल्य

7	8
में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित उपाधि या समतुल्य । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध विदेशी भाषा में द्विभाषित्व स्तर के समतुल्य डिप्लोमा । (iii) सम्बद्ध विदेशी भाषा से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से संबद्ध विदेशी भाषा में अनुवाद/भाषान्तरण का 2 वर्ष का अनुभव । टिप्पण :— 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण :—अनुभव संबन्धी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती हैं, जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । वांछनीय : एक या अधिक समाचार माध्यमों का अनुभव ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति में पुष्टि पर विचार करने के लिए निम्नलिखित होंगे:— 1. निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, नई दिल्ली —अध्यक्ष	चयन, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जायेगा । इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करते समय भी संघ लोक सेवा आयोग

13	14
2. संयुक्त निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, नई दिल्ली——सदस्य 3. निदेशक, मानीटरी सेवा आकाशवाणी, शिमला ——सदस्य टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले सदस्यों की पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी ।	से परामर्श करना आवश्यक है ।"

[सं० 12019/9/77-बी (ए)]

आर० बी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 9th January, 1981

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Monitor (Foreign Languages)

S. No.	Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	7a	8
"26.	Monitor (Foreign Languages)	Six	General Central Service, Group 'A' Gazetted	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Govt. servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	No	Essential : (i) Degree in the foreign language concerned with English as a compulsory or elective subject from a recognised University or equivalent. Or Degree with English a a compulsory or elective subject from a recognised University or equivalent. (ii) Diploma equivalent to interpretorship standard in the foreign language concerned from a recognised University or Institution.

8
(iii) 2 years' experience of translation or interpretation from the foreign language concerned into English or vice-versa. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Experience in one or more information media.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion or by transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment.	Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation : 1. Director, News Services Division New Delhi—Chairman 2. Joint Director, News Services Division, New Delhi—Member 3. Director, Monitoring Services, All India Radio, Simla—Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of direct recruits shall be sent to the Commission for approval.	Selection shall be made in consultation with Union Public Service Commission. Consultation with the Commission also necessary for amending or relaxing any of the provisions of these rules.

[No. 12019/9/77-B(A)]
R.D. JOSHI, Under Secy.